

LAND DOCUMENT SALE/GIFT/GOVT LEASE

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ के शासनादेश संख्या- 68/3 2(6)/1979/रा 1, दिनांक: 05.09.1986 का आंशिक परिष्कार करते हुये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950, उत्तर प्रदेश अधिनियम -1(1951) की धारा- 177 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या: 258/रा-1-16(1)-73, दिनांक: 07.05.1981 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै, कंचन वर्मा, जिलाधिकारी बलरामपुर संलग्न सूची के अनुसार उल्लिखित भूमि जो कि अब तक उपरोक्त दिनांक 5.09.86 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभा में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा राजकीय पॉलीटेक्निक सुरहिया देवर, तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर के निर्माण हेतु पदेन राजकीय पॉलीटेक्निक, सुरहिया देवर तहसील उतरौला, जिला बलरामपुर के नाम हस्तान्तरित करती हूँ।

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	गांव	गांव सभा	प्लॉट नं०/क्षेत्रफल	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पूर्णग्रहण किया गया)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बलरामपुर	उतरौला	उतरौला	सुरहिया देवर	महुवाधनी	327 अ गि०/2.428 हे०	राजकीय पॉलीटेक्निक सुरहिया देवर तहसील उतरौला

( कंचन वर्मा )  
जिलाधिकारी,  
बलरामपुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बलरामपुर।

संख्या: 897 /भू०व्य०सि०(पूर्णग्रहण)/2009

दिनांक: दिसम्बर 17, 2009

प्रतिलिपि:- 1. उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार, उतरौला को उपरोक्तानुसार अभिलेखों में अमलदरामद कराने हेतु।

2. प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलीटेक्निक, गाण्डा/ बलरामपुर को सूचनाथ।

सत्यापित

प्रधानाचार्य

उत्तपति शाहू जी महाराज  
राजकीय पॉलीटेक्निक, बलरामपुर

जिलाधिकारी,  
बलरामपुर।